



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22022023-243781
CG-DL-E-22022023-243781

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 761]
No. 761]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 21, 2023/फाल्गुन 2, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 21, 2023/PHALGUNA 2, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2023

का.आ. 793(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना जो संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, के अनुसरण में, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना जो संख्यांक का.आ. 3751 (अ), तारीख 20 अक्टूबर, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के पैरा 5 में, क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात् :-

1.	श्री के होक्टो सीमा, आईएफएस (रिटा.) निकीटो, हाउस सं. 152, आईएमसी हॉल, सप्लवाई कॉलोनी के सामने ताजेनो रोड, दिमापुर-797113, नागालैंड।	अध्यक्ष ;”।
----	--	-------------

[फा. सं. आईए 3-13/5/2022-आईए.III]

डा. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 3751(अ), तारीख 20 अक्टूबर, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIORNMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2023

S.O. 793(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub section (ii) *vide* number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3751 (E), dated the 20th October, 2020, namely:-

In the said notification, in paragraph 5, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

1.	Sh. K Hocto Sema, IFS (Retd). NIKITO, House No.152, Opposite –IMC Hall, Supply Colony, Tajenao Road Dimapur-797113, Nagaland.	Chairman;”.
----	---	-------------

[F. No. IA3-13/5/2022-IA.III]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3751 (E), dated the 20th October,2020.